THE GOVT.OF INDIA ACT-1935(PART-3)

FOR:U.G.PART-3,PAPER-6

BY:ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

गवर्नर

प्रांतों की समस्त कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। गवर्नर प्रांतीय प्रशासन का प्रधान कहा गया जिसकी नियुक्ति ***सम्राट*** द्वारा की जाती थी।

- बम्बई ,मद्रास तथा बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति सम्राट ***भारत मंत्री*** की सिफारिश पर तथा अन्य प्रांतों के गवर्नरों को वह ***वायसराय*** की सिफारिश पर नियुक्त करता था।
- गवर्नर की पद अवधि तथा सेवा की शर्तें वही थी जो सन 1919 के अधिनियम में थी।

गवर्नर

- गवर्नर को सलाह एवं सहायता हेतु मंत्री परिषद की व्यवस्था थी।
- जब कभी गवर्नर मंत्रियों की मंत्रणा पर कार्य करता था तो वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त होता था परंतु जब वह स्वविवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करता था तो वह गवर्नर जनरल के अधीन होता था ।

गवर्नर की शक्तियां

- 1935 के अधिनियम ने गवर्नर की शक्ति में अत्यधिक विस्तार किया । गवर्नर को तीन शक्तियां प्रदत्त थी-

1. मंत्रियों के परामर्श के आधार पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियां
2. स्वविवेकी शक्तियां
3. विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियां

गवर्नर की शक्तियां

- गवर्नर को कार्यपालिका, विधायी एवं वित्तीय क्षेत्र में स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त थी।कार्यकारी क्षेत्र में गवर्नर की शक्तियां निम्न विषयों से संबंधित थी-

1.अधिनियम के **अनुच्छेद 91** के अनुसार पृथक क्षेत्रों ,पिछड़ी हुई जंगली जातियों के क्षेत्रों का प्रशासन

2. मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्यूती

3. शासन तंत्र की दृष्टि से खतरनाक हिंसक एवं विनाशकारी कार्यवाही को रोकना

4. गुप्त चर व्यवस्था पर नियंत्रण

गवर्नर की शक्तियां

5. प्रांतीय लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

6. प्रतिरक्षा की दृष्टि से गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन

7. प्रांतीय विधान मंडल की बैठक बुलाना स्थगित करना और उन्हें विघटित करना

8. प्रांतीय विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना अथवा गवर्नर जनरल के विचारार्थ रखना

गवर्नर की शक्तियां

9. किसी विधेयक पर विवाद को रोकना एवं अध्यादेश परिवर्तित करना

10. प्रांतीय सरकार की वित्तीय मांगों को विधानसभा से स्वीकृत करवाना

11. किसी भी मद या विभाग के बजट में कटौती अथवा उसको अस्वीकृत होने पर वह अपने विशेषाधिकारों द्वारा वह यथापूर्व स्थापित कर सकता था

गवर्नर की शक्तियां

- गवर्नर **धारा 93** के अनुसार संपूर्ण शासन को सीधे अपने नियंत्रण में ले सकता था एवं विधान मंडल को भंग कर सकता था।
- अधिनियम के **अनुच्छेद 52** के अनुसार गवर्नर को सात विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किए गए थे। इसके द्वारा उसका अधिकार संपूर्ण शासन पर हो सकता था तथा व विधि, अर्थ अथवा शासन व्यवस्था का सर्वे सर्वा बन सकता था। ***सर सेम्युअल होर*** का मत था कि यह इतने विस्तृत थे कि लगभग संपूर्ण शासन क्षेत्र ही इसके अंतर्गत आ जाता था।

प्रांतीय विधानमंडल में निर्वाचन का आधार

- प्रांतीय व्यवस्थापिका का निर्वाचन सब वयस्क नागरिकों द्वारा नहीं होता था वरन् कुल जनसंख्या(3 करोड़) का लगभग 14% ही लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। इसके लिए शिक्षा, संपत्ति या कर की योग्यता रखी गई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा कुछ को अधिक महत्व दिए जाने की व्यवस्था बनाए रखा गया।
- विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था परंतु इसके पूर्व भी गवर्नर इसका का विघटन कर सकता था या अवधि बढ़ा सकता था।

कार्यकाल एंव संगठन

- विधान परिषद का स्थाई सदस्य जिनके सदस्य **9** वर्ष के लिए चुने जाते थे किंतु उसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष सदस्यता से मुक्त हो जाते ।विभिन्न प्रांतों में इनकी सदस्य संख्या में अंतर था।
- विधानसभा में सबसे कम सदस्य संख्या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में -**50** तथा सबसे अधिक बंगाल में -**250** थी। विधान परिषद में भी संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी परिषद बंगाल में- **65** थी जबकि असम विधानसभा सबसे छोटी थी जिसमें केवल -**22** सदस्य थे।

कार्यकाल एवं संगठन

- विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के प्रावधान थे किंतु मताधिकार प्रांत में भिन्न था।
- क्षेत्रों का संगठन धर्म लिंग एवं हितों के आधार पर किया गया मुसलमानों ,सिक्खों,आंग्ल भारतीयों ,भारतीय ईसाइयों तथा और यूरोपियन के लिए अलग क्षेत्र थे।
- सामान्य चुनाव क्षेत्र हिंदुओं एवं दलित वर्ग के लिए थे।

कार्यकाल एवं संगठन

- विशेष हितों को जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया था उनमें प्रमुख थे: -व्यापार- वाणिज्य,श्रम ,उद्योग जमींदार ,शैक्षणिक संवर्ग आदि।महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए।
- इस अधिनियम द्वारा एक गवर्नर और 15 डायरेक्टरों के नेतृत्व में एक **रिजर्व बैंक** की स्थापना की गई जो सिक्के बनाने नोट छापने पर नियंत्रण रखती थी।

अन्य प्रावधान

- भारतीय रेलवे के कुशल संचालन हेतु **7 सदस्यीय संघीय रेलवे प्राधिकरण**(Federal Railway Authority) की स्थापना की गई जिसके यह सभी सदस्य गवर्नर -जनरल के प्रति जवाबदेह थे। इसका मुख्य उद्धेश्य ब्रिटिश पूजी पतियों द्वारा रेलवे में किए गए निवेश को सुरक्षित बनाए रखना था।
- यह अधिनियम संघीय लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं दो या अधिक प्रांतों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है।

अधिनियम का मूल्यांकन

- 1935 के अधिनियम को सभी ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने अधिनियम की इस आधार पर आलोचना की कि इसके निर्माण में भारतीय जनता से सलाह नहीं ली गई की। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने एक्ट को इस तरह बनाया है ताकि उत्तरदाई सरकार को टाला जा सके अपने शासन को स्थाई बनाया जा सके और भारतीय जनता का शोषण किया जा सके। ***जवाहरलाल नेहरू***ने इस अधिनियम को '**दासता का अधिकार पत्र**'कहकर इसकी आलोचना की।

प्रतिक्रिया

- उनके विचार से यह अधिनियम -एक ऐसी मशीन है जिसके ब्रेक तो मजबूत है लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं था ।
- ***मदन मोहन मालवीय*** जैसे उदारवादी नेता ने कहा कि यह अधिनियम बाहर से तो लोकतांत्रिक प्रतीत होता है किंतु अंदर से बिल्कुल ही खोखला है।
- ***जिन्ना*** ने इस संघीय योजना की निंदा यह कहते हुए की कि यह पूर्णतःसड़ी हुई मूलतः त्रुटिपूर्ण तथा समग्र रूप से अस्वीकार है।

मूल्यांकन

- अखिल भारतीय संघ जो अधिनियम में प्रस्तावित था अपने कतिपय प्रावधानों के कारण मजाक बनकर रह गया ।संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था जबकि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक।संघ में देशी रियासतों की निर्धारित संख्या में शामिल होना स्वीकार नहीं किया अतः अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ की योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। भारतीय संघ का निर्माण देशी रियासतों के पूर्ण विलय एवं ब्रिटिश प्रांत एवं राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता

मूल्यांकन

देकर किया जाना था जिसे साम्राज्यवादी सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

- संघ की ईकाइयों में प्रायः एकरूपता पाई जाती है लेकिन प्रस्तावित संघ की इकाइयों में अभाव था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों में कुछ हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रावधान थे जबकि देशी राज्य आंतरिक मामलों में निरंकुश थे। किसी भी देशी राज्य को संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

मूल्यांकन

- भारतीय संघ में शामिल होने वाले देशी राज्यों के संघ में सम्मिलित होने की शर्त एक दूसरे से भिन्न थी। देशी राज्य को इस बात का निर्णय करने की स्वतंत्रता थी कि उनके राज्य क्षेत्र के भीतर संघीय सरकार किन शक्तियों का उपयोग करेगी किनकी नहीं ।देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व दोनों सदनों में भारत की कुल जनसंख्या का 23% रखा गया जो ज्यादा था।
- राज्यों के प्रतिनिधि देशी राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे जो पूर्णता असंगत तथा अनुचित था।

मूल्यांकन

- संघ के निर्माण करने वाली इकाइयों को अपने संविधान निर्माण का कोई अधिकार नहीं दिया गया नहीं उन्हें संविधान संशोधन की शक्ति दी गई।
- गवर्नर जनरल या संघ का प्रधान भारत में किसी के प्रति उत्तरदाई नहीं था ।अवशिष्ट शक्तियां न तो संघ के पास थी न प्रांतों के पास, बल्कि इसे गवर्नर जनरल को सौंपी गयी।गवर्नर जनरल की शक्तियां इतनी व्यापक कर दी गई कि जनप्रतिनिधियों के प्रभावी होने की कोई संभावना नहीं रहीं।

मूल्यांकन

- संघ में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च रहता है तथा उसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती किंतु इस अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। संघीय न्यायालय का सर्वोच्च न होना न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी ।
- प्रांतीय स्वायत्तता मजाक बन कर रह गई। गवर्नर जनरल को संकट काल की घोषणा कर के प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार था।

मूल्यांकन

प्रांतीय सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता था। धारा 93 के जरिए और प्रांतीय प्रशासन का समस्त भार अपने ऊपर ले सकता था कुछ विशेष प्रकार के विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमति से ही पेश किया जा सकता था। प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों गवर्नर जनरल की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा जा सकता था और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उसे ब्रिटिश सरकार के लिए रिजर्व रखना गवर्नर जनरल की इच्छा पर था।

मूल्यांकन

- अपने विशेष दायित्व केआधार पर गवर्नर जनरल प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था।
- अधिनियम ने गवर्नर को संवैधानिक अध्यक्ष के स्थान पर वास्तविक अध्यक्ष बना दिया। गवर्नर को वित्तीय क्षेत्र में असाधारण शक्तियां प्राप्त थी। मंत्रियों की नियुक्ति एंव पदच्युति उसके हाथ में थी। सिंध के मुख्यमंत्री अल्लाह बख्श को विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त होने पर भी गवर्नर ने हटा दिया गया था।